State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्रमांक / शिक्षक–शिक्षा / 30–1 / बी.एड. / प्रवेश / 2015 2946 रायपुर दिनांक 13.05.2015

प्रति,

नियंत्रक,
व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम्)
पेंशनबाड़ा,रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्री.बी.एड.परीक्षा 2015 से बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.) में प्रवेश संबंधी।

————00————

विषायांतर्गत लेख है कि आकांक्षा लायन्स स्कूल फॉर मेंन्टली हेण्डीकैप्ड, रायपुर (छ.ग.) को बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद् से 30 सीटों की मान्यता प्राप्त हुई है।

प्री.बी.एड. परीक्षा 2015 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ही इस पाठ्यक्रम में भी चयन प्रक्रिया की जानी है। पाठ्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त जानकारी व प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश पत्र के साथ संलग्न है। कृपया यह निर्देश व्यापम् के वेबसाइट में प्री.बी.एड. परीक्षा 2015 संबंधी निर्देशों में देने का कष्ट करें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

13.05.15
(आर.के.वर्मा)
प्राध्यापक
एवं प्रकोष्ठ प्रभारी बी.एड़.

पृष्ठां.क्र. / शिक्षक–शिक्षा / 30–1 / बी.एड. / प्रवेश / 2015 2947 रायपुर, दिनांक 13.05.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

डॉ. मीता मुखर्जी, कोर्स कोआर्डिनेटर
आकांक्षा लायन्स स्कूल फॉर मेन्टली हेन्डीकैप्ड, रायपुर (छ.ग.)

प्राध्यापक
एवं प्रकोष्ठ प्रभारी बी.एड़.

आकांक्षा लायन्स स्कूल फॉर मेन्टली हेण्डीकैप्ड
(Aakanchha Lions School For mentally handicapped)
में उपलब्ध पाठ्यक्रम बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.) के संबंध में जानकारी एवं इस पाठ्यक्रम में प्री.बी.एड. परीक्षा 2015 से प्रवेश संबंधी निर्देश

भारत एक विकासशील देश है, जहाँ की कुल जनसंख्या का 3% किसी ना किसी विकलांगता से ग्रसित है चाहे मानसिक विकलांगता की बात करें। छत्तीसगढ़ में 3% मानसिक विकलांग व्यक्ति पाये जाते हैं। विशेष शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इन मानसिक विकलांग व्यक्तियों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है।

विशेष शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खासकर मानसिक विकलांग व्यक्तियों को विशेष शिक्षक द्वारा, विशेष पाठ्यक्रमों द्वारा, विशेष शिक्षण तकनीकों द्वारा तथा विशेष शिक्षण उपकरणों द्वारा शिक्षण–प्रशिक्षण देना होता है, विशेष शिक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को स्पेशल डी.एड. अथवा स्पेशल बी.एड. करना होता है जिसमें शिक्षण कौशलों के अंतर्गत यह सिखाया जाता है कि विशेष व्यक्ति/बच्चों का किस प्रकार सर्वागीण विकास कर उनके कौशलों और भी निखारा जा सकता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे :– प्रत्येक स्कूल में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे विद्यार्थी को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, ऐसे बालक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। इनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, एवं अस्थि बाधित होते हैं, तो कुछ मानसिक रूप से भिन्न होते हैं या तो मानसिक रूप से पिछड़े होते है या प्रतिभावान। इनमें से कुछ बालक गम्भीर व्यवहार संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं, ये सभी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विद्यालय में इन बच्चों को पढ़ने लिखने एवं तालमेल बैठने में बहुत समस्या होती है। यदि हम चाहते हैं कि विशिष्ट बालक को अपनी क्षमताओं के विकास का पूर्ण अवसर मिले तो विशेष शिक्षा अनिवार्य है।

विशेष शिक्षक :– विशेष शिक्षक उन्हें कहते हैं जिनके पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री होती है जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के बाद इन बच्चों को शीघ्रता से पहचान कर उनकी आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। विशेष शिक्षक से तात्पर्य ऐसे शिक्षक से है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास कर उन्हें समझ सके। बच्चों को अच्छी तरह सिखाने के लिए शिक्षक खुद विशिष्ट विधियों, प्रविधियों एवं उपागमों का प्रयोग करता है इस प्रकार की वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग विधि एवं पाठ्यक्रम अनुकूलन करके बच्चों को सिखाना विशेष शिक्षा कहा जाता है।

भारत में **"RTE Act 2009** निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा" के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को उत्तम शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए, विशेषकर उन बच्चों को जो विशेष आवश्यकता के क्षेत्र में आते हैं। उनको विशेष उपकरण एवं विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में आकांक्षा लायन्स स्कूल फॉर मेन्टली हेण्डीकैप्ड, रायपुर इसी तरह की संस्था है। इस संस्था से बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.) की 30 सीटें भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा स्वीकृत है।

"B.Ed Spl.Education(MR) में प्रवेश प्रक्रिया

प्री.बी.एड. परीक्षा 2015 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से इस पाठ्यक्रम में प्रवेश RCI द्वारा निर्धारित निम्नानुसार अधिभार दिया जाकर किया जावेगा–

1.	किसी भी विषय में स्नातक के साथ 50% हो (SC/ST को 5% की विशेष छूट)	**50 Marks**
2.	विशेष शिक्षा में (डिप्लोमा / डिग्री होने पर) प्राथमिकता	**05 Marks**
3.	एक से दो साल विशेष बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव हो तो प्राथमिकता	**05 Marks**
4.	अगर विशेष बच्चे के अभिभावक व भाई बहन हों तो / या खुद शारीरिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को प्राथमिकता	**05 Marks**
5.	साक्षात्कार	10 **Marks**
	Total Marks	50 **Marks**

रोजगार के अवसर

1. समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक स्कूलों में एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है।
2. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में विशेष शिक्षक के पद पर कार्य कर सकते हैं।
3. अपनी स्वयं की संस्था स्थापित कर सकते हैं।
4. विशेष शिक्षक रिसोर्स शिक्षक के रूप कार्य कर सकता है।
5. शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के अंतर्गत हास्पीटल में कार्य कर सकता है।